

2024/122

क्रमांक नम्बर 15/2024

सेवामें .

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

रायपुर

अनवान

प्रार्थी

राजस्थान सरकार

जरिये भूमिधारी

तहसीलदार रायपुर

अप्रार्थी

1. विकास नाथक पुत्र गौरीशंकर
2. दाम नाथक सा. विराटिपा कला

जाति.....निवासी.....

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 वास्ते तरमीम दुरुस्ती

महोदय,

1. निवेदन है कि अप्रार्थी विकास डी. गौरीशंकर नाथक निवासी विराटिपा कला के नाम से ग्राम विराटिपा खुर्द पटवार मंडल विराटिपा खुर्द तहसील रायपुर जिला पाली के नाम से खातेदारी भूमि अवस्थित है।

अप्रार्थी की पैरा एक में वर्णित भूमि की तरमीम वक्त सेग्रीगेशन गलत स्थान पर सहवन से कर दी गई जिसे दुरुस्त किया जाना है।

पटवारी हल्का विराटिपा खुर्द एवं भू अ.नि. कर की रिपोर्ट अनुसार तरमीम शुद्धि के आदेश फरमाया जावे।




तहसीलदार रायपुर
जिला पाली (रा.प्र.)

फर्दमौका

आज दिनांक 03-01-2024 को ग्राम किराहिया खुर्द के खसरा संख्या 1146/17
रकबा 0.2428 किस्म आ. डोम खातेदार विकास लाल शर्मा
कौम नाथ का मौका देखा। मौके अनुसार खातेदारान का निम्नांकित नक्शा अनुसार
कब्जा काश्त है।

नजरीनक्शा



वर्तमान तरमीम जो गलत है।

सही स्थान पर प्रस्तावित तरमीम

मौका / नक्शा-लट्ठा अनुसार तरमीम शुद्धि प्रस्तावित है।

- संलग्न-1
1. नकल जमाबन्दी
 2. गत नक्शा की प्रति
 3. वर्तमान नक्शा की प्रति

हस्ताक्षर गवाहान

① दिनेश
(दिनेश पुत्र जगदीश जी)
भारत देवपार्षा
(भारत शंकरलाल देवासी)

विकास

पटवारी
हस्ताक्षर पटवारी


रिपोर्ट भू अ. निरीक्षक

पटवारी हल्का किराहिया खुर्द की फर्द मौका अनुसार मेरे द्वारा मौका जांच करली
गई है। वर्तमान मौका एव पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा अनुसार प्रस्तावित स्थान पर
तरमीम किया जाना उचित है।

अ. ल.
142 लर
03/01/2024

तहसीलदार (भूमिधारी) की अनुशंषा

रिपोर्ट पटवारी हल्का किराया खुर्द जांच भू अ. नि. वर
के आधार पर तरमीम शुद्धि की अनुशंषा की जाती है।



तहसीलदार रायपुर
जिला बलरामपुर

मुकाम नम्बर 15/2021

विजय चतल तहसीलदार

आदेश

तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर की अनुशंषा के अनुसार ग्राम किराया खुर्द के खसरा संख्या 1146/17 रकबा 0.2428 हेक्टेर की वर्तमान तरमीम के स्थान पर प्रस्तावित तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर पालना कर, पालना प्रस्तुत करें।


उपरखण्ड अधिकारी
स्वायत्त कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ध्यावर)